

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-08 / 2020 / 10-2

नवा रायपुर, दिनांक 19/08/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नेगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हैं। वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपर्वतन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/1336, दिनांक 08.07.2020।

—00—

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र (ऑफलाईन) को Parivesh Portal में ऑनलाईन अपलोड किया गया है। उपरोक्त ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों पत्रों में निम्नानुसार विरोधाभाष है :-

क्र	पत्र में उल्लेखित विरोधाभाषी बिंदु	ऑनलाईन अपलोड किये गये पत्र में उल्लेख	ऑफलाईन प्रेषित पत्र में किया गया उल्लेख
1	विषय	Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Dhamtari " Bharat Net project which is a GoI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 11.534 ha. regarding.	Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Mahasamund " Bharat Net project which is a GoI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical Fiber cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 5.923 ha. regarding
2	चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 18	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) :- आवेदित क्षेत्र के लिये <u>कलेक्टर बिलासपुर</u> द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र <u>दिनांक 25.11.2020</u> को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) :- आवेदित क्षेत्र के लिये <u>कलेक्टर महासमुंद</u> द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र <u>दिनांक 03.03.2020</u> को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्र		ऑनलाईन अपलोड किये गये पत्र में उल्लेख	ऑफलाईन प्रेषित पत्र में किया गया उल्लेख
3	चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र :— प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि समिलित है राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु <u>कलेक्टर बिलासपुर</u> के पत्र क्रमांक 2914, दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र :— प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि समिलित है राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु <u>कलेक्टर महासमुंद</u> के पत्र क्रमांक 067, दिनांक 08.01.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त प्रेषित प्रस्ताव ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों में विरोधाभाष की स्थिति है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

०१८

Recd.

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक १९/०८/२०२०

पृष्ठां क्रमांक एफ-५-०८/२०२०/१०-२
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल, महासमुंद, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

०१८

Recd.

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग